-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4.08 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अलग-अलग दो स्थानों से अवैध गांजे की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 07.05.2026 की देर रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1- राधेश्याम पुत्र बाबू निवासी खजरिया नेवादा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर को 02 किलो 80 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ महोबा रोड मवई बाईपास चौराहे से तथा 2-रवि कुमार पुत्र अजयपाल निवासी नगला मांझ थाना कुरावली जनपद मैनपुरी 02 किलोग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ छोटा बाईपास तिराहा शुकुल कुआं से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

- 04 किलो 80 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राधेश्याम पुत्र बाबू निवासी खजरिया नेवादा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।
2. रवि कुमार पुत्र अजयपाल निवासी नगला मांझ थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 218/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 218/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी सिविल लाईन
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार चौधरी
3. हे0कां0 अजय यादव
4. कां0 भागचन्द्र
5. कां0 नितेन्द्र कुमार
6. कां0 विष्णु गुप्ता